

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

Case No. S.T./39/2017
Filling No. ST/94/2017
CNR-MP5005000232017
संस्थित दिनांक-06.07.2015

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केंद्र-बैहर जिला बालाघाट — — — — अभियोजन ।

// // विरुद्ध // //

दिलीप पिता सेवकराम सैयाम उर्फ गोलू जाति गोण्ड उम्र 21 वर्ष
निवासी-दलदला थानीटोला पोस्ट रूपझर तहसील बैहर
जिला बालाघाट (म0प्र0) — — — — — अभियुक्त ।

=====

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-423/2015 म.प्र. शासन
बनाम दिलीप सैयाम, में पारित उर्पापण आदेश दिनांक 26.06.
2015 से उत्पन्न सत्र प्रकरण }

=====

श्री डी0पी0 बिसेन, अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन।
श्री हेमेन्द्र बिसेन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-दिलीप सैयाम

=====

— // // आदेश // // —
(धारा 232 द.प्र.सं. के तहत आज दिनांक 07.04.2017 को पारित)

1. अभियुक्त दिलीप सैयाम पर आरोप है कि दिनांक 31.03.2014 के करीब 9:00 बजे सुबह अंतर्गत थाना बैहर जिला बालाघाट वार्ड नंबर 8 चालीस मकान स्थित फरियादी वीपतदास की अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री उम्र 16 वर्ष को विधिपूर्ण संरक्षता से हटाकर अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण किया तथा अवयस्क अभियोक्त्री को विवाह करने का प्रलोभन देकर उसकी सहमति

को नियंत्रित करने की स्थिति में रहते हुए अयुक्त संभोग कर बार-बार बलात्संग कर बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला किया। जो धारा 363, 366, 376 (2)(I), 376 (2)(K), 376 (2)(N) भा.द.वि. एवं धारा 3/4, 5 (M) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, का विचारण किया जा रहा है।

2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोक्त्री (अ.सा.1) का अभियुक्त पति है, विपतदास (अ.सा.2) की अभियोक्त्री पुत्री है। सुनीता (अ.सा.3) का भी उक्त कथन है। डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.4) ने दिनांक 22.04.2015 को अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण किया था। अभियुक्त के द्वितीयक जननांग के लक्षण पूर्ण विकसित थे।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 31.03.2014 को प्रातः 9 बजे अभियोक्त्री वार्ड नंबर 8 चालीस मकान बैहर से स्कूल जाना बताकर, स्कालरशिप लेना है बताकर घर से गई थी। शाम तक वापस नहीं आयी। अभियोक्त्री के पिता ने पास-पड़ोस, रिश्तेदारी में तलाश किया, पुत्री का पता नहीं चला। बाद में पता चला कि प्रार्थिया के घर से थोड़ी दूर रहने वाला दिलीप उर्फ गोलू घर पर नहीं है, की रिपोर्ट दिनांक 01.04.2014 को 19:45 बजे थाना बैहर में की जाने पर प्रथम सूचना क्रमांक 66/14 धारा 363 भा.द.वि. की लेख की गई। जिसकी कम्प्यूटर प्रति भी तैयार की गई। दिनांक 21.04.2015 को अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु अभियोक्त्री और माता सुनीता से सहमति ली गई, चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस कथन लेख किया गया। अभियोक्त्री को उसकी माता के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

अभियोक्त्री को कितने माह का गर्भ है, बाबद् चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।
अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त दिलीप सैयाम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 376 (2)(I), 376 (2)(K), 376 (2)(N) भा.द.वि. एवं धारा 3/4, 5 (M) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप पढ़कर सुनाए, समझाए जाने पर उसने आरोप सुन, समझकर अपराध करना अस्वीकार किया, अभिवाक् लेख किया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

1— क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.03.14 को प्रातः 9 बजे के करीब अवयस्क अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने के आशय से उसके प्राकृतिक संरक्षक पिता की सहमति के बिना हटाकर व्यपहरण किया ?

2— क्या दिनांक 31.03.14 से दिनांक 21.04.15 की अवधि में अवयस्क अभियोक्त्री की सहमति के बिना अथवा इच्छा के बिना अभियुक्त द्वारा बार-बार धारा 375 (क) भा.द.वि. में अभिव्यक्त कृत्य कर बार-बार बलात्कार किया तथा अवयस्क अभियोक्त्री पर लैंगिक हमला किया ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

6. अभियोजन की ओर से प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 16 के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है। अभियोक्त्री स्त्री (अ.सा.1) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी उसका पति है। अभियोक्त्री को अपनी जन्म तारीख मालूम नहीं है। उसका दो माह का लड़का है। माता-पिता का घर में झगड़ा हो गया था तो परेशान होकर कमाने-खाने मोहल्ले वालों के साथ नासिक चली गई थी। नासिक में दिलीप से पहचान हुई, जिससे प्रेम संबंध हो गए। जब वह बालिग हो गई तब साक्षी ने दिलीप के साथ दुर्गा मंदिर में शादी कर ली। उसके पश्चात् नासिक में पति-पत्नी के तरह रहने लगे। दिलीप ने साक्षी की मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए थे।

7. पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि वह 26 जनवरी को आरोपी दिलीप के साथ अपने घर उकवा आयी थी। थाना बैहर में पुलिस ने दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। एस. डी.ओ.पी. कार्यालय बैहर में साक्षी को अपनी मां सुनीता के सुपुर्द कर सुपुर्दनामा पंचनामा प्र.पी. 2 बनाया था। पुलिस ने डॉक्टरी परीक्षण कराया था, साक्षी के गर्भ की सोनोग्राफी कराई थी, तब साक्षी को 8 माह का गर्भ दिलीप सैयाम का था। साक्षी ने परीक्षण की सहमति दी थी जो प्र.पी. 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। सूचक प्रश्नों के उत्तर में दिए गए सुझावों को इंकार किया है। प्र. पी. 4 का कथन पुलिस को देना इंकार किया है।

8. **विपतदास (अ.सा.2)** अभियोक्त्री का पिता है जिसके कथन में यह साक्ष्य है कि उसकी पुत्री एक साल बाद नासिक से वापस आयी थी। लडकी ने बालिग होने पर शादी कर ली थी। वह नासिक से आयी तब 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसे 8 माह का गर्भ दिलीप का था। वर्तमान में साक्षी की पुत्री को लड़का है। पुलिस ने अभियोक्त्री को दस्तयाब कर साक्षी की पत्नी के सुपुर्द किया था। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 8 का अ से अ भाग का कथन देना इंकार किया है। इसी प्रकार **सुनीता (अ.सा.3)** के भी कथन हैं। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 9 का अ से अ भाग का कथन देना इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब लडकी घर से गई तब वह 18 वर्ष से अधिक आयु की थी।

9. डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.4), डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.5), लोकेश कुमार सिन्हा (अ.सा.6) अन्वेषण अधिकारी, लखन भिमटे (अ.सा.7) ए.एस.आई., श्रीमती ममता टेंभरे (अ.सा.8) महिला पुलिस आरक्षक, डॉ. राकेश श्रीवास्तव (अ.सा.9), समुदा वल्के (अ.सा.10) महिला पुलिस आरक्षक, श्रीमती सुलेखा मरकाम (अ.सा.11) महिला प्रधान आरक्षक और कमलेश (अ.सा.12) के संपूर्ण

कथनों में प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना लेख कराने के दिनांक को अभियोक्त्री अवयस्क थी, की साक्ष्य नहीं है। अन्वेषण अधिकारी लोकेश कुमार सिन्हा (अ. सा.6) ने अपने अन्वेषण में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 (घ) की मंशानुसार अभियोक्त्री अवयस्क है, के संबंध में शालेय अभिलेख से प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है। दाखिल-खारिज पंजी न तो जप्त की है, न ही नकल प्राप्त की है, न ही प्रधान पाठक/प्राचार्य को साक्षी बनाया है। इस प्रकार प्रारंभ से ही अभियोक्त्री के अवयस्क होने के प्रमाण अभिलेख पर नहीं है।

10. अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने स्वयं कथन किया है कि वह खाने-कमाने के लिए अभियोक्त्री के माता-पिता का घर में झगड़ा हो जाने के कारण वह नासिक चली गई थी। वहाँ पर अभियुक्त से मुलाकात हुई, प्रेम संबंध हुए, वयस्क होने पर उन्होंने विवाह कर लिया तत्पश्चात् अभियोक्त्री की मर्जी से अभियुक्त ने शारीरिक संबंध बनाए थे। इन संबंधों के कारण वह गर्भवती हुई है। जन्मा बच्चा अभियुक्त का है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री घटना के समय दिनांक 31.03.2014 से दस्तयाबी दिनांक 21.04.15 की अवधि में अवयस्क थी, प्रमाणित न करने से धारा 363, 366, 376 (2)(I), 376 (2)(K), 376 (2)(N) भा.द.वि. एवं धारा 3/4, 5 (M) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं।

11. अतः अभियुक्त दिलीप सैयाम को धारा 363, 366, 376 (2)(I), 376 (2)(K), 376 (2)(N) भा.द.वि. एवं धारा 3/4, 5 (M) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोपित अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके अपास्त कर भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त दिलीप सैयाम दिनांक 22.04.2015 से दिनांक 31.08.2015 तक कुल 04 माह 09 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण-पत्र बनाया जावे।

13. मामले में जप्त संपत्तियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित
किया गया।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर